

18.06.024


मुकदमा नम्बर 28/2014

घारा 212 आर टी एक्ट

भीष्मगम बनाम भारगल

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण उपस्थिति। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया उपरोक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी आई हुई है तथा तमाम हिन्दू परिवार के सदस्य है। तथा उक्त आराजी में जोधा के परिवार का 1/3 हिस्सा तथा जगमाल के परिवार का 1/3 हिस्सा तथा सदराम के परिवार का 1/6 हिस्सा आया हुआ है। भूमि सामलाती है किन्तु मौके पर वर्षों से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अलग-अलग काश्त कर रहे है किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन उनके हिस्से की भूमि की माठ तोड़कर विवाद पैदा करते है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा एक मजबूत एवं ठोस आधारों पर वाद बाबत बंटवाड़ा का पेश किया जा चुका है। किन्तु वाद के ट्रायल में समय लगने की पूर्ण सम्भावना है। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण के बंट व कब्जे काश्त वाली भूमि किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान करने पर आमदा है जबकि प्रार्थीगण उक्त आराजी के सहखातेदार है। तथा मौके पर प्रार्थीगण का काश्त कब्जा होने से सुविधा का सुंतुलन व प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त वाली भूमि किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर देगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार तीन मूल भूत कानूनी स्तम्भ प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे।

हमने वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजा का अध्ययन व अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सुंतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के ताफैसला तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा डडूसन पटवार हल्का बावरला तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 70,130,131,132,133,134,155,156,157,158,159,160,161,266,267,273,274 जुमले रकबा 34.14 हैक्टर भूमि के राजस्व रेकर्ड में यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो एवं नम्बर से कम हो।

  
सहायक जज, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

